



सत्यमेव जयते

## सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2019-20 के लिए आवेदन फार्म (जहां आवश्यक हो ✓ लगाएं)

प्राप्तकर्ता कार्यालय का नाम	शाखा का नाम
------------------------------	-------------

सब्सक्रिप्शन का माध्यम  नकद  चेक/डीडी  इलेक्ट्रॉनिक अंतरण

	आवेदित स्वर्णों का वजन	चेक / आहरित डिमांड ड्राफ्ट (बैंक एवं शाखा का नाम)	चेक / डिमांड ड्राफ्ट सं.	दिनांक
(अंकों में)				
(शब्दों में)				

--	--

राशि: रु. (अंकों में) (शब्दों)

प्रथम/एकल आवेदक का पैन नंबर (अनिवार्य)	
--	--

आवेदक की स्थिति: वयैक्तिक निवासी [ ], न्यास [ ], धर्मार्थ संस्थान [ ], विश्वविद्यालय [ ], अन्य [ ], कृपया स्पष्ट करें: \_\_\_\_\_

आवेदक(कों) के विवरण (स्पष्ट अक्षरों में) मौजूदा आरबीआई निवेशक आईडी, यदि कोई हो

प्रथम/ एकल आवेदक का पूरा नाम,	
-------------------------------	--

	जन्म की तारीख (नाबालिग)
पासपोर्ट / आधार / पैन / टैन / मतदाता पहचान सं. (उपरोक्त में से कोई एक)	

अभिभावक (नाबालिग के मामले में)	
पासपोर्ट / आधार / पैन / टैन / मतदाता पहचान सं. (उपरोक्त में से कोई एक)	

प्रथम/ एकल आवेदक / अभिभावक का पूरा पता (दोबारा नाम को न भरें)	

संपर्क विवरण	
फोन	फैक्स
ईमेल	

जमा हुए ब्याज / मोचन के भुगतान के लिए बैंक का विवरण	
खाता धारक का नाम	खाता सं.
बैंक का नाम	आईएफएससी कोड
शाखा का नाम/पता	
खाता का प्रकार	<input type="checkbox"/> बचत खाता <input type="checkbox"/> चालू खाता

नामिती विवरण - नामांकन फार्म (यथा लागू) भरें और संलग्न करें





**सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2019 -20 के निवेशकों के लिए सूचना**

मद	सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2019 -20
1) निवेशकों का वर्ग	बॉन्ड की बिक्री वयैक्तिकों, हिन्दू अविभाजित परिवारों (HUFs), न्यास, धर्मार्थ संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों सहित भारत के निवासियों के लिए ही सीमित है.
2) निवेश की सीमा	वयैक्तिकों तथा हिन्दू अविभक्त परिवारों (HUFs) के लिए न्यूनतम सब्सक्रिप्शन 1 ग्राम और अधिकतम निवेश 4 किलोग्राम तथा न्यास एवं उसी प्रकार के संस्थान के लिए प्रति निवेशक प्रति वर्ष 20 किलोग्राम.
3) बॉन्ड के जारी होने की तारीख	बॉन्ड के प्राप्ति की तारीख वही होगी जो धारिता प्रमाण पत्र पर उल्लिखित होगी.
4) बॉन्ड के प्रकार	डी-मैट और भौतिक (धारिता प्रमाण पत्र).
5) ब्याज का विकल्प	अर्द्ध वार्षिक अंतराल. ब्याज आवेदन फार्म में उल्लिखित खाता अथवा डी-मैट खाते के साथ लिंक खाते में सीधे जमा कर दिया जाएगा.
6) परिपक्वता पश्चात ब्याज	परिपक्वता पश्चात ब्याज देय नहीं.
7) बैंक खाता	ब्याज / परिपक्वता मूल्य के भुगतान की सुविधा के लिए निवेशक को बैंक खाता विवरण देना अनिवार्य होगा.
8) नामांकन की सुविधा	एकल धारक अथवा सभी संयुक्त धारक अधिकतम 2 व्यक्तियों को नामिती के रूप में नामित कर सकते हैं.
9) परिपक्वता अवधि	जारी होने की तारीख से 8 वर्ष.
10) परिपक्वता पूर्व मोचन	जारी होने के 5वें वर्ष के बाद कूपन की तारीख पर.
11) व्यापार योग्य	इन बॉन्ड के स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड के लिए अधिसूचित किया जाएगा.
12) इन बॉन्ड के पेटे बैंकों से ऋण	उक्त प्रतिभूतियों के धारक इसे अनुसूचित बैंकों में गिरवी, दृष्टि बंधक या लियन रखने के लिए पात्र होंगे.
13) आवेदन फार्म	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों नामित डाक घरों एसएचसीआईएल और प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध होगा.

## निवेशकों / आवेदकों के लिए निर्देश

- ए) आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए.
- बी) अपूर्ण आवेदन को खारिज किया जा सकता है या पूर्ण विवरणों के उपलब्ध होने तक उसमें देरी हो सकती है.
- सी) यदि आवेदन मुख्त्यारनामा धारक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो कृपया सत्यापन के लिए मूल मुख्त्यारनामा को भी सत्यापित प्रति के साथ प्रस्तुत करें.
- डी) यदि आवेदन एक नाबालिग की ओर से किया गया है, तो जांच के लिए विद्यालय या नगर प्राधिकरण से प्राप्त मूल जन्म प्रमाण तथा उसकी सत्यापित प्रति साथ में प्रस्तुत करें
- ई) कृपया नोट करें कि नामांकन सुविधा सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड के एकल धारक या सभी संयुक्त धारकों (निवेशकों) के लिए उपलब्ध है.
- एफ) यदि नामिती नाबालिग है तो कृपया नाबालिग की जन्म तिथि को दर्शाएं और एक अभिभावक को नियुक्त किया जा सकता है.
- जी) यदि निवेश नाबालिग की ओर से किया गया है तो नामांकन की सुविधा उपलब्ध नहीं है.
- एच) कृपया इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक खाता विवरण प्रदान करें.
- आई) कृपया बैंक खाते में परिवर्तन, यदि कोई हो, को तत्काल सूचित करें,
- जे) परिपक्वता पश्चात ब्याज देय नहीं है.
- के) कृपया अपनी जन्मतिथि दर्शाएं.

### निवेशकों के अधिकार

- ए) निवेशक को होल्लिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा.
- बी) बांड पर ब्याज छमाही रूप से देय होगा. ब्याज को आवेदन फार्म में दिए गए बैंक खाते के माध्यम से या डी-मैट से लिंक खाते के माध्यम से, जैसा भी मामला हो, जमा किया जाएगा.
- सी) सवारेन स्वर्ण बांड 2019-20 के अंतर्गत निवेश के लिए आवेदन पत्र वेबसाइट [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) / [www.finmin.nic.in](http://www.finmin.nic.in) पर उपलब्ध हैं.
- डी) एकल धारक या सभी संयुक्त धारक अधिकतम दो नामिती को बांड के अधिकार के लिए नामित कर सकते हैं.
- ई) नामांकन का पंजीकरण जारीकर्ता कार्यालय में किया जाएगा और धारक को पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा.
- एफ) नामांकन में परिवर्तन ने नामांकन को पंजीकृत कर किया जा सकता है.
- जी) मौजूदा नामांकन को जारीकर्ता कार्यालय को प्रस्तुत कर रद्द करवाया जा सकता है.
- एच) शीघ्र मोचन के लिए आवेदन करने की तारीख से पाँच कार्य दिवस के अंदर पुनर्भुगतान की राशि को प्राप्त करने

के लिए पात्र है .

यदि बैंक उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है, तो आप भारतीय रिज़र्व बैंक के नजदीकी कार्यालय में लिखित रूप में शिकायत दर्ज कर सकते हैं:

क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण विभाग/  
बैंकिंग लोकपाल  
(स्थान)

---

आप अपनी शिकायत निम्नलिखित पते पर भी भेज सकते हैं:

मुख्य महाप्रबंधक  
आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग केंद्रीय कार्यालय  
फोर्ट, मुंबई -400 001, महाराष्ट्र

डिस्क्लेमर: - मैंने निवेशकों के लिए सूचना विवरणों को और साथ ही साथ निवेशकों के अधिकारों और कर्तव्यों को पढ़ा और समझा है . एजेंट / बैंक ने मुझे योजना की विशेषताओं के बारे में बताया है .

आवेदक के हस्ताक्षर